

30/4
2024

पत्रावली धारणी महेश प्रेम को के लक्ष्मी
धारणी पत्र पर वेरा हुयी मादल महेश प्रेम
एवं वकील मादलान ने धारणी पत्र धारा-
212 एन एन को आगे नही चलाना
चाहते है। वकील मादलान ने धारणी
पर-212 को नोट प्रेम किया।
अतः आदेश है कि धारणी पत्र-212 नोट
प्रेम के आधार पर खारिज किया जाय
है। प्रकरण फैसल सुनाए होय। फूल वाद
समाप्त है।

2
उपखण्डाधिकारी
धोलपुर (राज.)

महेश प्रेम को के लक्ष्मी
धारणी पत्र पर वेरा हुयी मादल महेश प्रेम
एवं वकील मादलान ने धारणी पत्र धारा-
212 एन एन को आगे नही चलाना
चाहते है। वकील मादलान ने धारणी
पर-212 को नोट प्रेम किया।
अतः आदेश है कि धारणी पत्र-212 नोट
प्रेम के आधार पर खारिज किया जाय
है। प्रकरण फैसल सुनाए होय। फूल वाद
समाप्त है।